HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी करने के अभियोग में एक अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 05.03.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी करने" के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 09.10.2021 को अभियुक्त अख्तर पुत्र यारून निवासी चित्तकोटी थाना लालमहिया जनपद गोड्डा (झारखण्ड) द्वारा ग्राम कोटा हरिनाथपुर में विद्युत तार व विद्युत उपकरण चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 495/2021 धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.11.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 05.03.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय ADJ प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री नरेश चन्द्र शर्मा (ए.डी.जी.सी) व विवेचक उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह एवं पैरोकार है0का0 आदेश व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 672 अन्जु का विशेष योगदान रहा।